उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या–72/2022–23

सरकार

बनाम्

रामचन्द्र राणा

–: आदेश :–

दिनांक	
	अभिलेख का अवलोकन किया। मामला पथरगामा थाना काण्ड संख्या–149/2022 दिनांक–13.09.2022 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक–5581/अप0शा0 दिनांक–20.12.2022 से धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त टाटा पिकअप वाहन निबंधन सं0–JH17T-5421 तथा उस पर लदे बालू को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त टाटा पिकअप वाहन निबंधन सं0–JH17T-5421 के मालिक एवं चालक के विरूद्ध अवैध रूप से बालू की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या--02 में इस कांड को धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त टाटा पिकअप वाहन निबंधन सं0–JH17T-5421, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त टाटा पिकअप वाहन निबंधन सं0–JH17T-5421, के मालिक रामचन्द्र राणा, पे0–सिकन्दर राणा, सा0–जगतपुर (महुआ), थाना–बाँका, जिला–बाँका, बिहार के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में जप्त टाटा पिकअप वाहन निबंधन सं0–JH17T-5421 एवं उस पर बालू के विरूद्ध धारा–379/411/34

भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विपक्षी के विरूद्ध अवैध ढंग से बालू का परिवहन के कारण प्राथमिकी दर्ज किया गया है एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि टाटा पिकअप वाहन निबंधन सं0–JH17T-5421 के द्वारा अवैध ढंग से बालू का परिवहन किया जा रहा था। विपक्षी से कारण–पृच्छा मांगे जाने पर विपक्षी न तो उपस्थित हुए और न ही विपक्षी के द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल किया है। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी को कुछ नहीं कहना है। अतएव जप्त टाटा पिकअप वाहन निबंधन सं0–JH17T-5421 एवं उसमें लदे बालू को राजसात किया जाता है। इसकी सूचना जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा, जिला परिवहन पदाधिकारी, गोड्डा एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के साथ मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गोड्डा को भी दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.10.11 12:33:26 +05:30
Location: 192.168.1.38